न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 10/2018 (225 आरटीए) भैरूसिंह बनाम पुखाराम वगे.

भैरूसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी रामसिंह नगर, बालेसर जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 पुखाराम पुत्र श्री प्रभूराम
2 मगराज पुत्र श्री प्रभूराम
3 तुलछी पत्नी श्री प्रभूराम
4 जोगाराम पुत्र श्री पन्नाराम
5 नैनाराम पुत्र श्री पन्नाराम
6 बाबूलाल पुत्र श्री अणदाराम
7 शंकरराम पुत्र श्री अणदाराम
8 शियाराम पुत्र श्री अणदाराम
9 भंवरराम पुत्र श्री गोकलराम
10 पुनाराम पुत्र श्री गोकलराम
11 गिरधारीराम पुत्र श्री गोकलराम
12 घेवरराम पुत्र श्री गोकलराम
13 कैलाशचंद्र पुत्र श्री गोकलराम
14 मदनलाल पुत्र श्री चुनाराम
15 रूपाराम पुत्र श्री चूनाराम
16 किशनलाल पुत्र श्री चूनाराम
सभी जातियान नाई निवासीगण ग्राम गिंगाला तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।
17 भूमिधारी जरिए तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर
18 शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. बैंक बावड़ी जिला जोधपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बावड़ी
दिनांक 23.05.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 27/2017

उपस्थित :

1 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राशेनलाल।
2 रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता बुधाराम चौधरी।
3 रेस्पो. सं. 4 से 18 प्रोफार्मा रेस्पो. होने से तामील में छूट प्रदान की गई।

निर्णय

दिनांक : 05.03.2018

5/3/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर बावड़ी के आदेश दिनांक 23.05.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो. सं. 1 से 3 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा साथ में धारा 212 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो. सं. 1 से 3 व अपीलांट्स व अन्य रेस्पो. की सह खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम गिंगाला तहसील बावड़ी के मूल खसरा नं. 283, 291, 299/1, 299/2 एवं 282 कुल खसरे–5 व कुल रकबा 132 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है। रेस्पो. सं. 1 से 3 के पूर्वज प्रभूराम का देहांत वर्ष 1986 में हो गया था तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 नाबालिग थे जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को यह कहकर राजस्व अभियान में अंगूठा करवाया थाा कि तेरी विधवा पेंशन बनवानी है जिस पर भरोसा करते हुए अंगूठा कर दिया तथा पटवारी से मिलीभगत करते हुए बंटवाड़ा करवा लिया जिसमें सभी खातेदारों के हिस्से अनुसार बंट नहीं किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को मात्र खसरा नं. 283 व 291 में बंट दिया गया जबकि प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को खसरा नं. 299/1, 299/2 को अपने हिस्से में रखवा लिया और खसरा नं. 283, 291 व 282 में भी अपने हिस्सा रखा। उपरोक्त बंटवारे के आधार पर नामांतरकरण संख्या 219 स्वीकृत किया गया जिसे निरस्त करवाना चाहते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 द्वारा वर्ष पुनः वर्ष 2013 में एक बंटवाड़ा किया तथा उस बंटवाड़े के आधार पर नामांतरकरण संख्या 815 स्वीकृत किया गया जिसे भी निरस्त कराना चाहते हैं। अपीलार्थी को रेस्पो. सं. 4 व 5 के कारनामों की जानकारी उसके द्वारा दखलंदाजी करने पर हुई तो अपीलार्थी द्वारा बंटवाड़े के नामांतरकरणों को निरस्त करवाने व वर्तमान खसरा नंबरान को दुरस्त कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करने हेतु वाद प्रस्तुत किया साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर दिनांक 23.05.2017 को रेस्पो. सं. 1 से 3 की एक तरफा बहस सुनते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.05.2017 को प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 की एकतरफा बहस सुनते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.05.2017 के द्वारा अपीलार्थी व अन्य प्रत्यर्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राशेनलाल ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील

5/3/18

मीमो में वर्णित बिंदुओं को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश जारी किए जाने के पश्चात सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना किए बगैर ही आदेश पारित कर दिया है जो आदेश, आदेश 39 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त व निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व स्वीकृत बंटवारे से हिस्से में आई हुई भूमि में से ही खरीद किया है। इसलिए अपीलार्थी अजनबी क्रेता नहीं कहा जा सकता है। अपीलार्थी मौके पर खरीदसुदा भूमि पर पूर्व कब्जे के अनुसार काबिज होने का पूर्ण अधिकारी है इस कारण अपील स्वीकार योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में पारित वृहदपीठ के निर्णय व निर्देशों की अनदेखी करते हुए एक पक्षीय आदेश पारित किए जाने के पश्चात आदेश 39 नियम 3 व 3ए के अनुसार प्रकरण का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना आवश्यक है लेकिन प्रकरण पिछले 8 माह से लंबित रखा हुआ है इस कारण अपीलार्थी अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थीगण द्वारा मिलावट करते हुए जानबूझकर जमीन का बेचान अपीलार्थी के पक्ष में किए जाने के पश्चात वाद प्रस्तुत कर अपीलार्थी को हैरान व परेशान किया जा रहा है तथा ब्लैकमेल करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। जबकि प्रत्यर्थी सं. 4 व 5 का पूर्व में ही बंटवारा किया हुआ था जिसके संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा कोई उज्र ऐतराज नहीं किया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। संपूर्ण कृषि भूमि में से प्रत्यर्थी सं. 5 द्वारा ही अपने हिस्से का बेचान किया गया है। हिस्से से अधिक भूमि का बेचान नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं उनके बंटवारा सह खातेदारों के मध्य ही हो सकता है जबकि खसरा नं. 191/5 में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 सह खातेदार नहीं हैं इस कारण वाद विधिवर्जित है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की भूमि नहीं है बल्कि बंटवारा होकर पूर्व के खसरे वर्तमान में 10 खसरों में परिवर्तित हो गए हैं तथा सभी खातेदार अपने–अपने खाते की भूमि पर कब्जा काश्त हैं। प्रत्यर्थीगण इस आधार पर दावा लाए हैं कि फर्जी अंगूठा लगवा कर बंटवारा करवाया है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को पहले तथाकथित फर्जी बंटवारे को चुनौती देनी चाहिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2017 को निरस्त किया जाकर मूल पत्रावली प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षकारों की उपस्थिति मे सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का आदेश फरमावें। अपनी बहस के समर्थन में राजस्व मण्डल की वृहद पीठ के निर्णय के संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2014(1) पेज 409 पेश की गई।

5 रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता बुद्धाराम चौधरी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 212 का दिनांक 23.05.2017 को दर्ज किया गया था व एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया व 16.06.17 को

5/3/18

सुनवाई की तारीख पेशी दी गई तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। इसके बाद पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से प्रकरण पेंडिंग चल रहा है। दिनांक 07.02.2018 को आई.ए.एस. प्रशिक्षणार्थी को पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। प्रकरण में 07.2.2018 को सुनवाई की तारीख नियत थी तथा पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त हो गए हैं लेकिन प्रकरण की अपील होने से सुनवाई नहीं हो सकी तथा दिनांक 21.02.2018 को भी सुनवाई के लिए तैयार थे लेकिन अपीलांट नहीं पहुंचे। अपीलांट चाहते तो प्रार्थना पत्र का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त तारीख पेशियों में करवा सकते थे। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 मूल खातेदार हैं तथा अपीलांट स्ट्रेंजर परचेजर है तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ 1 बीघा भूमि रेस्पों सं. 4 व 5 से खरीदी है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अंतरिम आदेश है जिसकी अपील इस न्यायालय मे मैंटेनेबल नहीं हैं। अपीलीय न्यायालय अपीलाधीन आदेश को अपील स्वीकार कर सेटअसाईड या कन्फर्म नहीं कर सकता है बल्कि इसके लिए अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही चाराजोही करनी चाहिए। रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपने इस तथ्य के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2003(2) पेज 946 पेश किया।

रेस्पो. सं. 1 से 3 के अधिवकता ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपील पारित आदेश के 244 दिन बाद पेश की गई है। जो मियाद बाहर है। इस संबंधमें आर.आर.डी. 2000 पेज 528 पेश किया।

रिपीटल में अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट ने रजिस्टर्ड सेल डीड से बंटवारे की भूमि को खरीदा है अतः स्ट्रेंजर परचेजर की कहानी इस इस प्रकरण में लागू नहीं हो सकती है। अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश अवश्य है परंतु अपीलांट ने जवाब पेश कर दिया है। जहां जवाब पेश नहीं होता है वहां अपील मैंटेनेबल नहीं होती है। जवाब पेश होने के बाद अंतरित आदेश का एक माह में निस्तारण करना होता है परंतु इस प्रकरण मे आदेश 39 नियम 3ए की अवहेलना की गई है अतः इस प्रकार के अंतरित आदेश की अपील मैंटेनेबल है। इसलिए अपील प्रस्तुत करनी पड़ रही है। अपील पेश करने का देरी का कारण भी यही रहा कि अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश करने के बाद भी सुनवाई नहीं की जा रही है अतः अपील को अंदर मियाद सुमार करने हेतु धारा–5 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अपीलांट के अधिवक्ता ने इस संबंध में वृहद पीठ के निर्णय वाला न्यायिक दृष्टांत 2014(1)आर.आर.टी.409 पेश किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 इस अपील में दो बिंदु उभर कर सामने आए हैं, पहला यह अंतरिम आदेश की अपील है जो इस न्यायालय में मैंटेनेबल है या नहीं। दूसरा यदि अपील मैंटेनेबल है तो क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित है या नहीं।

पहले बिंदु के संबंध में अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश अवश्य है परंतु अपीलांट ने जवाब पेश कर दिया है। जहां

5/3/18

जवाब पेश नहीं होता है वहां अपील मैंटेनेबल नहीं होती है। जवाब पेश होने के बाद अंतरित आदेश का एक माह में निस्तारण करना होता है परंतु इस प्रकरण मे आदेश 39 नियम 3ए की अवहेलना की गई है अतः इस प्रकार के अंतरित आदेश की अपील मैंटेनेबल है। इस संबंध में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया जिसमें वर्णित है कि "In such circumchances the party who does not get justice due to the inaction of the court in following the the mandate of law must have remedy. So we are of view that in a case where the mandate of Ordr 39 Rule 3A of the code is flouted, the aggrieved party, shall be entitilted to the right of appeal notwithstanding the pendency of the application for grant or vacation of a temporary injuction, against the order remaining in force. ….. Failure to decide the application or vacate the exparty temporary injuction shall, for the purposes of the appeal, be deemed to be the final order passed on the application for temporary injuction, on the date of expiry of thirty days mentioned in the Rule."

उक्त न्यायिक दृष्टांत के संबंध में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रकरण में दिनांक 23.05.2017 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई व अप्रार्थीगण को दिनांक 16.06.2017 को तलबी के साधारण नोटिस जारी किए गए। जबकि एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए जाने चाहिए थे। दिनांक 16.06.2017 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई। 05.07.2017 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई। 09.08.2017 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई। 30.08.2017 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई। 06.09.2017 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई। 27.09.2017 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई। 18.10.2017 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई। 25.10.2017 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई। 01.11..2017 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई। 08.11.2017 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई। 15.11..2017 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई। 13.12.2017 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई। 27.12.2017 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई। 03.01.2018 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई।

दिनांक 10.01.2018 को पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण सं. 1 से 14 की ओर से वकील श्री घेवरराम विश्नोई व कालूराम भाटी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी

5/3/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अप्रार्थीगण सं. 15 व 16 तथा दिनांक 17.01.2018 की पेशी दी गई।
दिनांक 17.01.2018 को पीठासीन अधिकारी सरकारी भ्रमण पर होने से अगली पेशी दी गई। दिनांक 07.02.2018 को पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी अप्रार्थीगण सं. 15 व 16 तथा दिनांक 21.02.2018 को पेशी दी गई।
उपरोक्त आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि अपील पेश करने से पूर्व पत्रावली पर केवल मोहर लगाकर आगे की तारीख पेशी दी जा रहीं थी। जिससे सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना नहीं करना इस प्रकरण में पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 15 व 16 की तलबी का इंतजार अभी तक किया जा रहा है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अप्रार्थी सं. 15 तहसीलदार बावड़ी है व अप्रार्थी सं. 16 शाखा प्रबंधक एस.बी.बी. जे. शाखा बावड़ी है जो अधीनस्थ न्यायालय के कोर्ट कैंपस में ही होंगे या 100–200 मीटर दूर होंगे। उनकी तलबी के इंतजार में पत्रावली चल रही है। अधीनस्थ न्यायालय की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण के संबंध में पत्रावली पर गौर ही नहीं किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के संदर्भ में विचार करने पर यह अपील मैंटेनेबल है व इसी कारण अपीलांट का धारा–5 का प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद सुमार की जाती है।
रेस्पो. 1 से 3 के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2003(2) पेज 946 व आर.आर.डी. 2000 पेज 528 में वर्णित प्रकरणों के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। उक्त प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश आगे बढ़ाया हुआ नहीं हैं अतः इसके गुणावगुण पर विचार किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अंतरिम आदेश निरस्त माना जाता है।

9 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अंतरिम आदेश निरस्त माना जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण का गुणावगुण पर अधिकतम 30 दिन की अवधि मे निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

5/3/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/3/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर